चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(5). आज दिनाँक 27.01.2025 को महाकुंभ-2025 व मौनी अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में बेड़ी पुलिया कर्वी पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालित रखने हेतु सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मौनी अमावस्या मेला पर वाहनों से श्रद्धालुओं का जनपद में व जनपद से प्रयागराज के लिए भारी संख्या में आवागमन हो रहा है, श्रद्धालुओं को सुगम यातायात व्यवस्था और कोई जाम की स्थिति न बन पाये इस हेतु पुलिस द्वारा मुस्तैदी के साथ ड्युटी की जा रही है।

(6). आज दिनांक 28.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में महाकुंभ 2025 व आगामी मौनी अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट,बेड़ी पुलिया, यूपीटी चौराहा,निर्मोही अखाड़ा एवं धनुष चौराहा एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों/इलाकों/छतो पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(7). आज दिनांक 28.01.2025 को महाकुंभ 2025 व मौनी अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी एन एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने रेलवे स्टेशन कर्वी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारियों से सामान्य ट्रेन का संचालन तथा मेला स्पेशल ट्रेनों के आवागमन के बारे में विस्तृत जानकारी की। जिलाधिकारी ने रेलवे जीआरपी,आरपीएफ के अधिकारियों से कहा कि जब ट्रेनों का आवागमन हो तो उसकी जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए। तत्पश्चात उन्होंने रेलवे व पुलिस कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया जिसमें उन्होंने ट्रेनों के अप डाउन के शेड्यूल के बारे में जानकारी की। पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा ने जीआरपी के थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि 28 जनवरी 29 जनवरी तथा 30 जनवरी 2025 का चार्ट ट्रेनों के संचालन का रेलवे से लेकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए, क्योंकि चित्रकूट तपोभूमि में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके आएंगे तो तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ सकती है। इसके पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण मेला क्षेत्र का भ्रमण कर मौनी अमावस्या को देखते हुए तथा महाकुंभ- 2025 प्रयागराज के आवागमन तथा व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल सहित संबंधित अधिकारी एवं रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनांक 28.01.2025 कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 687/2012 धारा 323,324,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीप्रसाद निवासी शंकर बाजार कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।